निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 चैत्र 1938 (श0)

(सं0 पटना 271) पटना, सोमवार, 4 अप्रील 2016

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

30 मार्च 2016

सं० वि०स०वि०–08/2016–1758/वि०स०—''बिहार मूल्यवर्द्धित कर विधेयक, 2016'', जो बिहार विधान–सभा में दिनांक 30 मार्च, 2016 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान–सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान–सभा के आदेश से,

राजीव कुमार,

प्रभारी सचिव ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर विधेयक, 2016

[वि०स०वि०-04/2016]

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) का संशोधन करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। –(1) यह अधिनियम बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. अधिनियम 27, 2005 की धारा–3क में संशोधन।– उक्त अधिनियम, 2005 की धारा–3क की उप–धारा (1) में प्रयुक्त शब्द ''बीस प्रतिशत'' शब्द ''तीस प्रतिशत'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

3. अधिनियम 27, 2005 की धारा–14 में संशोधन।– उक्त अधिनियम, 2005 की धारा–14 की उप–धारा (1) के खंड–(घ) में प्रयुक्त शब्द ''साढ़े तेरह प्रतिशत'' शब्द ''साढ़े चौदह प्रतिशत'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

4. अधिनियम 27, 2005 की धारा–70 में संशोधन।– उक्त अधिनियम, 2005 की धारा–70 में जहाँ–जहाँ शब्द ''नब्बे दिन'' प्रयुक्त हैं, को शब्द ''साठ दिन'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. निरसन एवं व्यावृत्ति।– (i) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अध्यादेश, 2016 (बिहार अध्यादेश संख्या–1, 2016) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

वित्तीय संलेख

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 वित्तीय वर्ष 2005–06 से लागू है। इस अधिनियम के प्रशासन के क्रम में अनुभूत कठिनाईयों के निराकरण तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से समय–समय पर संशोधन किये जाते रहे हैं।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005, के अन्तर्गत अनुसूची– IV में वर्णित वस्तुओं पर अधिकतम 20 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाये जाने के प्रावधान हैं। अधिभार की इस दर को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। पुनः अधिनियम की धारा–14 की उप–धारा (1) के खंड (घ) के अनुसार ऐसी वस्तुएँ जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है, पर लागू 13.5 प्रतिशत की कर दर को बढ़ाकर 14.5 प्रतिशत किया गया है। वर्त्तमान में अधिनियम के अन्तर्गत व्यवसाईयों के कर–वापसी के दावे को 90 दिनों के भीतर प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इस समय–सीमा को घटाते हुए 60 दिन किया गया है।

विधेयक के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)

भार–साधक सदस्य।

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 वित्तीय वर्ष 2005–06 से लागू है। इस अधिनियम के प्रशासन के क्रम में अनुभूत कठिनाईयों के निराकरण तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से समय–समय पर संशोधन किये जाते रहे हैं।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005, के अन्तर्गत अनुसूची– IV में वर्णित वस्तुओं पर अधिकतम 20 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाये जाने के प्रावधान हैं। अधिभार की इस दर को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। पुनः अधिनियम की धारा–14 की उप–धारा (1) के खंड (घ) के अनुसार ऐसी वस्तुएँ जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है, पर लागू 13.5 प्रतिशत की कर दर को बढ़ाकर 14.5 प्रतिशत किया गया है। वर्त्तमान में अधिनियम के अन्तर्गत व्यवसाईयों के कर–वापसी के दावे को 90 दिनों के भीतर प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इस समय–सीमा को घटाते हुए 60 दिन किया गया है।

उपर्युक्त के कारण ही बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ठ है।

(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)
भार–साधक सदस्य।

राजीव कुमार,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा ।

पटना,
दिनांक 30 मार्च 2016

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 271-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in